

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ़

रवि कुमार बनाम रघुवीर आदि

किस्म मुकदमा : 88, 188 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 158 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ
10.03.2023	यह वाद पत्र वादी ने स्वयं उपस्थित होकर पेश किया । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वादी स्वयं रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक : 10/04/2023 को पेश हो।	
10.4.23	<p>वकील 9161 अहमद ) प्रतिवादी का 2 व 3 की ओर से श्री एवाहिंद प्रमिया प्रवर्ग ने वकालतगणना अथवा 3191 पेश किया जिनकी प्रति वकील 9161 को डिवाइस गिरी । प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजि. सम्मन पेश हो चुके हैं। प्रतिवादीगण का 1, 4 को आवाज लगावक गिरी । प्रतिवादीगण का 3 गिरी ओर से कोर्ट (लीड 3480 नही) पत्रावली वास्ते तलबी आवाजी कार्यवाही दिनांक 27/4/23 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश की जा रही है। आवाज 12/4/23 को पेश है।</p>	
19/5/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने आवक पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अन्वयित भूखंडों में राजीनामा हो चुका है। उपरोक्त गाँव में आधी आगे-बोर्ड वापस लाने की वकालत पारदर्शी है। अन्वयित पारदर्शी फलाने। वादीगण आधी सीमा विषय वाकए न्यायालय के अन्वयित प्रवर्ग रजिस्टर्ड किम गारा है। पत्रावली वाकए से काम होकर सर्विल सुपटा हो।</p> <p>(उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)</p>	<p>रवि कुमार</p> <p>पत्रावली</p> <p>19/5/23</p> 